भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

..

लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल, दिल्ली में सिस्टर ट्यूटर के पद के भर्ती नियमों में संशोधन करने हेतु प्रारूप भर्ती विनियमावली पर सार्वजनिक सूचना।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का. ज्ञा. सं. ए.बी. 14017/1/2008-स्था. (आरआर) के अनुपालन में लेडी रिडिंग हेल्थ स्कूल, दिल्ली में सिस्टर ट्यूटर के पद के प्रारूप भर्ती नियम संलग्न हैं।

प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति/टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक स्टॉक होल्डर, प्रारूप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर लिखित रूप में डॉ. रति बालचंद्रन, अपर महानिदेशक (नर्सिंग), नर्सिंग प्रभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (कमरा नं. 751-ए विंग), निर्माण भवन, नई दिल्ली को लिखित रूप में अथवा ई-मेल पते: rathi.bala@gov.in पर भेज सकते हैं।

रती

(डा. रति बालाचंद्रन)
अपर महानिदेशक (नर्सिंग)
दिनांकः जनवरी, 2018
फोन नं.: 23061033

[भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]
सं. ए-11012/04/2018-एन
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

निर्माण भवन, नई दिल्ली,
तारीख 2018

सा.का.नि. .... (अ) राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार की **दिनांक 16 अक्तूबर, 1962 की अधिसूचना सं. एफ-2-9/59 एमएच के अधिक्रमण में, एतद्वारा लेडी रीडिंग हैल्थ स्कूल, दिल्ली में स्टॉफ की भर्ती की पद्धति का** विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रांरभ :
   I. इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी रीडिंग हैल्थ स्कूल, दिल्ली भर्ती नियम, 2018 होगा।
   II. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान**– उक्त पदों की संख्या, और उनका **वेतनमान** वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि –** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

निरर्हता – वह व्यक्ति –
(1) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है।
(2) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है। उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को स्वीकार्य विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

4. शिथिल करने की शक्ति – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

5. व्यावृत्ति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

ट्यूटर के पद के लिए अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
1	2	3	4	5	6	7
नर्सिंग ट्यूटर	08 *(2) लेडी रीडिंग स्कूल, दिल्ली में *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3 (रु. 15,600 -39100/-) ग्रेड वेतन 5400/-रुपए स्तर-10	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारीअनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक की आयु तक शिथिलनीय) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2 : संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती के मामले में आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ही विज्ञाप्ति की जाएगी।	अनिवार्य :- बी.एससी. (आनर्स) उपचर्या/बी.एससी (उपचर्या)/एक वर्ष के अनुभव सहित पोस्ट बेसिक बी.एससी (उपचर्या)। II. किसी राज्य उपचर्या परिषद के साथ नर्स और मिडवाईफ के रूप में पंजीकृत। टिप्पणी-1: अर्हताएं, यथा सुयोग्य आवेदकों के मामले में अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है। टिप्पणी-2: यदि चयन के किसी चरण पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन वर्गों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन वर्गों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी अर्हता संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।

क या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण के कारण या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किसी अन्य परिस्थिति के कारण एक वर्ष की अवधि के लिए पद पर न होने के कारण सृजित रिक्तियों केन्द्रीय सरकार में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले तथा स्तंभ-7 के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अर्हताएं एवं अनुभव रखने वाले अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकती हैं।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने की किन परिस्थतियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति: (पुष्टि हेतु प्रोन्नति के लिए विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1) संयुक्त सचिव (नर्सिंग विभाग के प्रशासन से संबंद्ध) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय – अध्यक्ष 2) उपचर्या सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य 3) निदेशक/उप सचिव संबंद्ध प्रशासन), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय- सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।

	4) प्रधान नर्सिंग अधिकारी, लेडी हार्डिंग हेल्थ स्कूल, दिल्ली- सदस्य	

(सं. ए. 11012/06/2018-एन)

(डॉ. रति बालाचंद्रन)
एडीजी (उपचर्या)

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
बाहरी रिंग रोड, मायापुरी,
नई दिल्ली-64

प्रतिलिपि:

1. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली।
2. विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. प्रमुख पुस्तकालय अध्यक्ष, संसद पुस्तकालय, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली-गौण कानून संबंधी समिति हेतु।
4. प्रमुख पुस्तकालय अध्यक्ष, राज्य सभा सचिवालय।
5. उपचर्या अनुभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।
6. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं सफदरजंग अस्पताल।
7. निदेशक आरएचटीसी, नजफगढ़, नई दिल्ली।